राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4196/2025

जगदीश प्रसाद मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के दिनांक 21.7.2025 के अभ्यावेदन पर, जिसमें उसकी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों और बीमारी को देखते हुए उसके निवास स्थान के निकटवर्ती ब्लॉक में रिक्त पद पर उसकी नियुक्ति के लिए विचार करने का अनुरोध किया गया था, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अपीलार्थी अपने निवास स्थान से बहुत दूर कार्यरत है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है तथा आस–पास के क्षेत्रों में और भी पद रिक्त पड़े हैं। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल II, सामाजिक अध्ययन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गीजगढ़ के पद पर रहते हुए, दिनांक 14.9.2015 के आदेश द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गीजगढ़ (सिकराय) में स्थानांतरित हुआ था और उसके बाद एक संशोधन किया गया और अपीलार्थी को दिनांक 8.6.2016 के आदेश द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेड़ा में पदस्थापित किया गया और उसे स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–2 व 3) दिनांक 8.6.2016 के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 8.6.2016 को अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेड़ा में कार्यभार ग्रहण कर लिया और तब से वर्तमान पदस्थापन स्थान

पर कार्यरत है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी 8.6.2016 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है, जो उसके निवास स्थान से बहुत दूर है। अधिकरण ने मोती देवी मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के समान मामले में हाल ही में 8.8.2025 को निर्णय दिया और चार महीने की अवधि के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और निर्णय देने का निर्देश दिया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के दिनांक 21.7.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए एवं अपीलार्थी को निकटवर्ती ब्लॉक में किसी भी रिक्त पद पर अध्यापक ग्रेड iii लेवल ii के पद पर तथा विशेष रूप से अभ्यावेदन में उल्लिखित किसी भी रिक्त पद पर नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ नियुक्ति देने के मामले पर विचार किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष